<u>न्यायालय अवर न्यायाधीश,बनमनखी (पूर्णियाँ)</u>

<u>स्वत्व वाद संख्या–07 / 2019</u>

<u>18.02 .2020</u> वादी संख्या–13 एवं प्रतिवादीगण की ओर से हाजरी दी गई। अभिलेख आज वादी के दिनांक–05.12.2019 के आवेदन तथा प्रतिवादी के दिनांक–19.12.2019 के प्रतिउत्तर पर सुनवाई के पश्चात् आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ।

वादी के विद्धान अधिवक्ता ने दिनांक–05.12.2019 के आवेदन के आलोक में कथन किये है कि दिनांक–21 / 22.05.2019 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को विवादित भूमि से बेदखल कर दिया। वादी संख्या –5 द्वारा इस घटना को लेकर S.D.O बनमनखी के न्यायालय में आवेदन दिया था, जिसे अग्रिम कार्यवाही हेतु बनमनखी थाना भेज दिया गया है, जिसका अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त कर लिया गया है। अतः वादी की ओर से निवेदन किया गया है कि S.D.O बनमनखी के न्यायालय से दिनांक–22.05.2019 के उक्त आवेदन को मँगवाया जाय।

प्रतिवादी के विद्धान अधिवक्ता ने वादी के आवेदन का विरोध करते हुए कथन किये है कि वादी द्वारा न्यायालय के समय को बर्बाद करने हेतु यह आवेदन दाखिल किया गया है। अतः वादी के आवेदन को खारिज किया जाय।

उभय पक्षो को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि दिनांक–22.05.2019 के घटना को लेकर वाद–पत्र में संशोधन भी हुआ है। वाद–पत्र में अंकित सभी तथ्यों से संबंधित दस्तावेज अभिलेख पर उपलब्ध होना आवश्यक है। अतः न्यायहित में वादी के दिनांक–05.12.2019 के आवेदन को स्वीकार करते हुए S.D.O बनमनखी के न्यायालय से वादी गौरी शंकर झा द्वारा दाखिल दिनांक–22.05.2019 के आवेदन को मँगवाने का अनुमति दिया जाता है। कार्यालय लिपिक उक्त आवेदन की माँग S.D.O बनमनखी के न्यायालय से करे। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात् वाद बिन्दु का निर्धारण किया गया।

दिनांक 02.03.2020 वास्ते वादी द्वारा साक्षी सूची एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु

अवर न्यायाधीश

बनमनखी,(पूर्णियाँ)